न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—85/2018 (2018/00215) वाद पत्र

उनवान

1—अनुराधा पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि महेश कुमार छीपा निवासी रायपुर हाल निवास 10 अ पटेल परमानंद की चाली रखियाल अहमदाबाद (गुजरात)

2—ज्योति पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि उमेश कुमार मरकटा निवासी रायपुर हाल निवास 23 वार्ड संख्या 1 तारापुर तहसील जावद उम्मेदपुरा नीमच (मध्यप्रदेश)

3—चेतन आनन्द पिता छीतरमल जोशी पत्नि महेश कुमार छीपा निवासी रायपुर हाल निवास यु. आई. टी. के पास भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—आशादेवी पत्नि नरेन्द्र सिंह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—छीतरमल पिता लक्ष्मीलाल जोशी निवासी रायपुर हाल निवास सोमनाथ चौराया बालाजी नगर मकान नम्बर 41 (A) कांकरोली राजसंमद

3—हीरालाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—नाथुलाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय

4/1—मांगीबाई बेवा नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/2—जगदीश पिता नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/3—मीना पुत्री नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4/4—ज्ञानी पुत्री नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—शान्तिलाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर हाल निवास समाज कल्याण छात्रावास के पास न्यू बापु नगर भीलवाड़ा

6—बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक

7—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश चन्द्र टेलर — वादीगण अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—27.07.2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है और वे हिन्दु विधि से शरशित होते है। इस संयुक्त हिन्दु परिवार के मूल पुरूष लक्ष्मीलालजी थे उनके एक पुत्र छीतरमल व 2 पुत्रीयां दुर्गा व मधु व पत्नि रोड़ी हुए जिनमें से पुत्रीया दुर्गा व मधु शादी शुदा होकर अपने ससुराल में आबाद है और यहां पर रह रही है। रोड़ी बाई फोत हो चुकी है। तथा दुर्गा व मधु ने इस हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पतियो से हिस्सा लेने से इन्कार करते हुए सम्पूर्ण भूमियां उनके भाई विपक्षी संख्या 2 छीतरमल को दे दी है। ग्राम रायपुर में वादीगण के दादा लक्ष्मीलाल व उनके भाई मोहनलाल आत्मज श्रीराम जोशी के नाम साबिक खाता संख्या 673 में अकिंत आराजी संख्या 969 रकबा 13 बिस्वा, 970 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, 971 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, 973 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 974 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 6 बिघा 13 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त भूमि में वादीगण के दादा लक्ष्मीलाल का 1/2 हिस्सा

व मोहनलाल का 1 / 2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात के दौराने सेटलमेन्ट नवीन नम्बर 4002 रकबा 0.67 है0, 4003 रकबा 0.42 है0, 4004 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 कायम किये गये। वादीगण के दादा की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित भूमियां वादीगण की भुवा दुर्गादेवी व मधुदेवी की सहमति से वादीगण के पिता छीतरमल के नाम पर नामान्तरणकरण संख्या 2544 दिनांक 16.12.2000 को दर्ज कर फैसल किया गया। तथा रोड़ी बाई की मृत्यु हो जाने से नामान्तरणकरण संख्या 2596 दिनांक 20.08.2002 को विपक्षी संख्या 2 के नाम विरासतन नामान्तरित की गई। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियो में प्रतिवादी संख्या 2 जो वादीगण के पिता है के नाम पर 1 / 2 हिस्से में दर्ज हुई जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1 / 4, 1 / 4 हिस्सा यानि सम्पूर्ण कृषि भूमियो में 1 / 8, 1 / 8 हिस्सा निहित है। उक्त भूमिया वादीगण के दादा के समय से चली आ रही है। जिसमे वादीगण का हक हिस्सा होते हुए भी वादीगण को सदैव उपक्षित करता रहा है। वादीगण की देखभाल परवरिश शादिया आदि भी वादीगण की माता ने की है। वादीगण को उनके हिस्से से महरूम किया जा रहा है। वादीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि से महरूम करने की गरज से दिनांक 12.09.2002 को बिना किसी विधिक आवश्यकता के और बिना वादीगण की जानकारी के और उनके नाम भूमियां तन्हा दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उससे साठगाठं कर हम वादीगण के हिस्से को भी विक्रय करते हुए विक्रय पत्र निष्पादित करवा उसका पंजीयन करवा दिया जो वादीगण के मुकाबले शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। उक्त आराजियात पुश्तेनी होने से तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 2 के सगे पुत्र पुत्रीयां है जिससे उक्त सम्पूर्ण भूमियों में वादीगण का 3 / 8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 8 हिस्सा बनता है किन्तु उक्त भूमियां उसके नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण के हक हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 को अपने हक हिस्से की भूमि से अधिक विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। इस नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर भूमिया का नामान्तकरण भी अपने नाम करवा लिया जिससे उक्त नामान्तकरण दो भी ऐब एण्ड ऐसियो वोईड है। इसलिये कानूनन वादीगण अपना हक हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 को भूमि में हिस्सा देने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा कहा कि मैने भूमियां प्रतिवादी 1 के नाम बिकाव की रजिस्ट्री करवा दी है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का वादीगण को काई जानकारी नही थी जिससे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त वाद पेश किया गया है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सुरजपुरा के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 4002 रकबा 0.67 है0, 4003 रकबा 0.42 है0, 4004 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि के 3 / 8 हिस्से के वादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है, तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण के उनके हक हिस्से से उनको बेदखल नही करे, उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की नाजायज दंखलदांजी न तो स्वयं न किसी अन्य से करावे तथा वादगस्त आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बावजुद सूचना

के उपस्थित नही हाने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 फौरमल पक्षकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नही है। वादीगण संख्या 1 व 2 शादीशुदा होकर 17 वर्ष से अपने ससुराल मै निवास कर रही है। वादी संख्या 3 जो अपने पिता के साथ सकुनत तर्क करने के समय से ही ग्राम कांकरोली में निवास कर रहा है। वादीगण ने गलत सजरा प्रस्तुत किया है। वादीगण के दादा के समय से ही उक्त पुस्तैनी आराजियात का विभाजन उन्होने अपने पुत्र छीतरमल को कर दिया था जिसके नाम उनकी विरासत का नामान्तरण फैसल किया गया जिसकी जानकारी वादीगण को है। वादीगण संख्या 1 व 2 अपने ससुराल निवास कर रही है एवं वादी संख्या 3 अपने पिता के साथ कांकरोली निवास कर रहा है। सन् 2005 में नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व पुत्र पुत्रीयो का कोई हक अधिकार नही बनता है। वादीगण के पिता अभी जिवित होकर साथ में निवास कर रहा है। अपने पिता की सिखावट से ही उक्त भूमियो में हिस्सा लेने का वाद पेश किया है। उक्त भूमिया व रिहायसी मकान विक्रय करके गया तब से उक्त भूमि प्रतिवादीया के अधिकार आधिपत्य में है प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर काफी रूपये व श्रम लगाकर उपजाउ बनाया एवं चारदीवारी कर लोहे की फाटक लगा रखी है। विक्रय की जानकारी वादीगण को शुरू से ही थी। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरण राजस्व एजेन्सी ने पूर्ण रूप से जांच कर फैसल किया है तथा उसे बतौर खातेदार मालिक बनाया वर्तमान में भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 की खरीद शुदा है प्रतिवादीया खातेदार है इसलिए एक खातेदार को अपनी भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त है प्रतिवादीया ने वादीगण के पिता छितरमल को पूर्ण से प्रतिफल अदाकर भूमियां क्रय की है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 छीतरमल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 04.09.2002 को प्रतिवादी संख्या 1 आशादेवी से जायज प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर दी एवं कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से ही प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। वादीगण जो विपक्षी संख्या 2 की संतान है अपने पिता छीतरमल की सलाह एवं उसकी जानकारी से यह वाद पत्र सभी की दुरभी संधी से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व प्रस्तुत किया। वादीगण के पिता जिसने अपनी जायज जरूरत एवं रूपयो की पूर्ति हेतु भूमि एवं रिहायसी मकान, एवं एक नोहरा विक्रय किये है इसकी जानकारी भी वादीगण एवं उनकी माता को शुरू से ही थी। वादीगण का विक्रयपत्र निष्पादित होने के बाद कोई कब्जा नही रहा है केवल मात्र प्रतिवादी को जलील व परेशान करने की नियत से और रूपये ऐंठने की गरज से अपने पिता के साथ मिलकर यह बलात् वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारीज योग्य है।

वाद एवं प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 की पुश्तैनी व पैतृक भूमिया है। जिम्मे वादीगण

2. आया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित होने की डिक्री वादीगण प्राप्त करने की अधिकारीणी है व इसी प्रकार काबिज है। जिम्मे वादीगण

3. आया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण की इस पुश्तैनी भूमियो को स्वयं के नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 को नुमाईशी तौर पर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जो वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले नल एण्ड वोईड है। जिम्मे वादीगण

4. आया कि वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण
5. आया कि सन् 2005 के नोटिफिकेशन के आधार पर पुत्र व पुत्रीयों का हक नही बनता है। इसलिये वादीगण का वादपत्र खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1
6. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात में हिस्सा प्रतिवादीया ने जायज प्रतिफल अदा कर विकय पत्र निष्पादित करवाया वक्त बिकाव से ही प्रतिवादीया काबिज होकर काश्त कर रही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1
7. अनुतोष ?

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 छितरमल के पुत्र पुत्रीयां है। छितरमल के पिता के फोत होने पर सजरा अनुसार नामान्तकरण पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व पत्नि रोड़ी के नाम हुआ व रोड़ी के फोत होने पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 2 के नाम भूमि दर्ज हुई। वादीगणो के जन्म के बाद नामान्तकरण से भूमि पिता के नाम दर्ज हुई है। वादीगण के द्वारा अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2058 के खाता संख्या 718 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें वादीगण के दादा लक्ष्मीलाल के नाम 1/2 हिस्से की भूमि और लक्ष्मीलाल के फोत होने से जरिये नामान्तकरण संख्या 2544 दिनांक 16.012.2000 से भूमि रोड़ी बाई पिता लक्ष्मीलाल व छीतरमल पिता लक्ष्मीलाल के नाम दर्ज हुई एवं रोड़ी बाई के फोत होने से जरिसे नामान्तकरण 2696 दिनाक 07.08.2002 से भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज होने का इन्द्राज है जो प्रदर्श 1 है। वादीगण को प्रतिवादी 2 के द्वारा त्याग रखा है और शादिया भी माता के द्वारा करायी गई है और बिना विधिक आवश्यकता के प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को भूमि विकय कर दी गई जिसके अनुसार भूमि केता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 सम्पूर्ण भूमियां विकय करने का कोई अधिकार नही है। लक्ष्मीलाल की पुत्री दुर्गा जो वादीगणो की भुवा है के द्वारा अपने बयानो में कहा कि हमारी सहमति से भूमि भाई छितरमल के नाम दर्ज हुई है। वाद के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रदर्श 1 से 9 प्रस्तुत किये एवं वादीगणो के द्वारा वादी संख्या 1, एवं दुर्गादेवी व वादी संख्या 3 एवं स्वतंत्र गवाह के रूप में श्री भैरूलाल पिता नगंजीराम गुर्जर के बयान कराये गये। और अन्त में निवेदन किया कि भूमि पुश्तैनी है जिसमें वादीगणो का 3/8 हक हिस्सा है और वाद के समर्थन में आआरटी 2020 (2) पेज 999 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा व अन्य का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। आरआरटी 2014–15 (Supp.) पेज 599 की नजीर पेश की गई। आरआरटी 2018 (1) पेज 643 हस्ती सीमेन्ट प्रा.लि. बनाम संदीप चारण की पेश की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने प्रतिवाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है भूमि पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 2 की बहिनो की तरफ कोई वाद नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि विकय कर दी है और सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे मे है। कय के 16 वर्ष बाद वादीगण की ओर से वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा कर्जे के एवज में भूमि विकय की गई है। वादीगण के द्वारा जो अपना हिस्सा बताकर वाद पेश किया गया है उसमें वादीगण की भुवाओ का भी हिस्सा है जिसमें उनकी सहमति नही है। दुर्गा के बयान है कि इस भूमि को लेकर कोई ऐतराज नही है। सिजारी के जो बयान कराये उसमें सिजारी कब करी वह पता नही है। छितरमल कर्ता खानदान था जिसके द्वारा आवश्यकता से भूमि विकय की गई है जो अनुच्छेद 254 से प्रभावित है। हिन्दु उत्तराधिकार

अधिनियम की धारा 8 के अनुसार पिता के जिवीत रहते पुत्र पुत्री क्लेम नही कर सकते है। भूमि की कीमत बढ़ने से दुरंभी संधि कर 20 वर्ष बाद वाद पेश किया जो वाद चलने योग्य नही है। भूमि पर कब्जा केता का है दावा खारीज फरमाया जावे। प्रतिवाद के समर्थन में 2018 (3) सीजे (सिविल) एस.सी. पेज 577 केहरसिंह बनाम नछीतर कौर, सिविल अपील संख्या 7037 ऑफ 2021 बीरेड्डी दशरथामी रेड्डी बनाम मन्जुनाथ एवं अन्य की नजीरे पेश की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं वादीगण अधिवक्ताओ की बहस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया तो पाया कि वादीगण वादवर्णित भूमि को पैतृक मानकर वाद पेश किया गया है। वादीगण के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार भूमि पैतृक होना साबित कराया गया है इसके साथ ही मृतक खातेदार लक्ष्मीलाल के विधिक वारीसान के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ उसकी बहिने दुर्गा एवं मधु भी विधिक वारीसान के रूप मे हकदार है किन्तु इस प्रकरण में दुर्गा के द्वारा अपने बयान में स्पष्ट कहा कि वादवर्णित भूमि मेरे पिता से मेरी और मेरी बहिन की सहमति से मेरे भाई छितरमल के नाम भूमि दर्ज करायी गई है और हमारा हिस्से का त्याग कर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादवर्णित भूमि को लेकर प्रतिवादी संख्या 2 की बहिनो को कोई आपत्ति नही है और फिर भी वो स्वतंत्र है।

इस प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जवाब में मुख्य रूप से एवं मजीद कथन के रूप में यह कहा गया कि सन् 2005 में जारी राजकीय राजपत्र के अनुसार पुत्रीयों को मृतक की विरासत में हक अधिकार प्राप्त नही होते थे जिससे भूमि छितरमल के नाम दर्ज हुई है। छितरमल जिवीत है, उसके द्वारा भूमियां विक्रय की गई है। वादीगण उसकी जायंदा संतान है। प्रतिवादी संख्या 1 आशादेवी को निष्पादित विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से जब तक निरस्त नही हो जाता जब तक वादीगणो को कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा बहस में इस बात पर जोर दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 कर्ता खानदान था और कर्ता खानदान होने के नाते परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि विक्रय की गई है। प्रदर्श 9 पंजीयन दस्तावेज में अ से बी को आधार मानकर कर्जा चुकाने के लिये भूमि विक्रय की गई है जिसको वादी संख्या 1 अनुराधा के बयान से प्रमाणित होना बताया गया है जो उचित नही है। वादीगण के द्वारा अ से बी मार्क के बीच में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा गया है कि यह मेरे पिता के द्वारा लिखा गया है किन्तु इस प्रकरण में एक भी दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रतिवादी 2 के द्वारा कर्ता खानदान की हैसियत से और पैतृक कर्ज चुकाने के लिये भूमि को विक्रय किया जाना आवश्यक था। कर्ज सम्बधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। प्रतिवादी के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त केहरसिंह व अन्य बनाम नछितर कौर व अन्य की सिविल अपील नम्बर 3264 / 2011 की प्रति प्रस्तुत की गई है जो अनुच्छेद 254 (2) से सम्बधित है जिसमें कर्ता खानदान द्वारा किन परिस्थितियो में विक्रय की जा सकती है बाबत् बताया गया है। इस प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई परिस्थिति घटित होना या परिवार पर कोई ऐसा संकट आया जिससे भूमि विक्रय की गई है बाबत् कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह नही माना जा सकता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा भूमि को विक्रय किया जाना अतिआवश्यक था। प्रतिवादी की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। जबकि वादी अधिवक्ता के द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये वो पूर्णतया चस्पा होते है।

वाद,प्रतिवादी एवं अधिवक्ताओ की बहस के आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है

1. आया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 की पुश्तैनी व पैतृक भूमिया है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का जिम्मा वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस तनकी के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संवत 2058 के खाता संख्या 718 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसमें वादवर्णित भूमि लक्ष्मीलाल पिता पृथ्वीराज, मोहनलाल पिता श्रीराम जोशी के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श 1 है। नामान्तकरण संख्या 2544 जो वादीगण के दादा लक्ष्मीलाल के फोत होने पर उनके विधिक वारीसान के नाम भूमि दर्ज हुई है जो प्रदर्श 3 है। नामान्तकरण संख्या 2696 जो वादीगणो की दादी रोड़ी बाई की विरासत का है जिससे सम्पूर्ण भूमि छितरमल के नाम दर्ज हुई जो प्रदर्श 5 है। इसके साथ ही साक्ष्य के रूप में श्रीमती अनुराधा, चेतन एवं दुर्गादेवी के बयान कराये गये जिसमें भी वादवर्णित भूमि को वादीगण की पैतृक होना बयान में बताया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी की ओर से इस तनकी के खण्डन के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा इस तनकी को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रमाणित कराया जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

2. आया कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का संयुक्त रूप से 3 / 8 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार खातेदारी काश्तकार घोषित होने की डिक्री वादीगण प्राप्त करने की अधिकारीणी है व इसी प्रकार काबिज है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा इस तनकी के समर्थन में वादवर्णित भूमि पैतृक होकर अपने दादा लक्ष्मीलाल के समय की होना दर्शाते हुए वाद पेश किया गया है। वाद के कलम संख्या 1 मूल पुरूष लक्ष्मीलाल पिता पृथ्वीराजजी के विधिक वारीसान का सजरा पेश किया गया है जिसमें खातेदार लक्ष्मीलालजी के 1 पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 व 2 पुत्रीयां तथा पत्नि रोड़ीबाई होना दर्शाया गया है। रोड़ीबाई फोत हो चुकी है। खातेदार लक्ष्मीलालजी की विरासत पुत्र छीतरमल एवं पत्नि रोड़ीबाई के नाम नामान्तकरण संख्या 2544 से दर्ज हुई और रोड़ी बाई फोत होने पर सम्पूर्ण भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 2696 दिनांक 30.08.2002 से भूमि छीतरमल पिता लक्ष्मीलाल के नाम दर्ज हुई है। छीतरमल की बहिने दुर्गा एवं मधु के नाम विरासत से भूमि दर्ज नही होकर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 2 छीतरमल के नाम दर्ज हुई है। छीतरमल के द्वारा वादीगण की माता एवं वादीगणो से अलग रहना एवं भूमि को विक्रय करने की धमकी देना वादीगणो के बयान से स्पष्ट है। वादीगणो के द्वारा जानकारी पर वाद पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 छीतरमल के 1 पुत्र व 2 पुत्रीयां वादीगण है एवं पिता जीवित है भूमि पैतृक होने से एवं सम्पूर्ण भूमि छीतरमल के नाम दर्ज होने से छीतरमल प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादीगण का संयुक्त रूप से विधि अनुसार बराबर हक हिस्सा बनता है। हालांकि वादवर्णित भूमि में लक्ष्मीलाल की पुत्रीयां दुर्गा एवं मधु का भी हक बनता है किन्तु दुर्गादेवी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बयान में कहा कि वादवर्णित भूमि मेरी व मेरी बहिन की सहमति से मेरे भाई छितरमल के नाम दर्ज हुई है। हमारा हिस्सा त्याग कर दिया है। बहिनो के द्वारा हिस्सा त्याग करने से सम्पूर्ण भूमि छितरमल के नाम दर्ज हुई है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का बराबर हक हिस्सा है जिसके अनुसार वादीगणो का वादवर्णित भूमि में 3 / 8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 8 हिस्सा बनता है। दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण द्वारा इस तनकी को प्रमाणित कराया है जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

3. आया कि प्रतिवादी संख्या 2 ने वादीगण की इस पुश्तैनी भूमियो को स्वयं के नाम पर दर्ज होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 को नुमाईशी तौर पर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया जो वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले नल एण्ड वोईड है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण के द्वारा इस तनकी के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 2 जो छीतरमल के द्वारा अपना 1/2 हिस्सा विक्रय से श्रीमती आशादेवी पत्नि नरेन्द्रसिंह कोठारी के नाम दर्ज हुआ जो प्रदर्श 6 है। ग्राम सुरजपुरा की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 9 की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 8 है। छीतरमल के द्वारा वादवर्णित भूमि में अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 आशादेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.10.2002 को भूमि विक्रय की गई की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 9 है एवं वादीगण के बयान व दुर्गादेवी के बयान के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या आशादेवी के द्वारा भी छीतरमल के नाम की सम्पूर्ण भूमि खरीदना अपने बयान में कहा गया है जो दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रमाणित है। प्रकरण में भूमि वादीगणो की पैतृक है जिसमें वादीगणो का जन्म से ही हक निहित होने से वादवर्णित भूमि में वादीगणो का 3/8 हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 2 छीतरमल का 1/8 हिस्सा किन्तु छीतरमल के द्वारा भूमि अपने नाम होने से सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गई है जिससे वादीगण के हक हिस्से तक उक्त विक्रयपत्र नल एण्ड वोईड है। वादीगण के द्वारा इस तनकी को भी दस्तावजी साक्ष्य प्रमाणित कराया है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक वादीगण किया जाता है।

4. आया कि वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादीगण पर था। प्रस्तुत वाद में वादीगण की ओर से वादपत्र के अनुसार 4 तनकीयात कायम की गई जिसमें दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर 3 तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो चुका है। उक्त तनकी तीनो तनकियो से सम्बधित है जिससे इस तनकी का निर्णय भी बहक वादीगण किया जाता है।

5. आया कि सन् 2005 के नोटिफिकेशन के आधार पर पुत्र व पुत्रीयों का हक नही बनता है। इसलिये वादीगण का वादपत्र खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है। दौराने बहस हिन्दु उत्तराधिकार 1956 की धारा 14 के तहत् सहदायिक सम्पति में केवल एक सहदायिक की मृत्यु के उपरान्त उसकी पुत्री सम्पति में हकदार होगी और उसके विवाह से उसके हक अधिकार नष्ट नही होते की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया इसके विपरीत वादी अधिवक्ता की ओर से वाद के समर्थन में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 की ओर ध्यान आकर्षित करा सहदायिकी सम्पति में पुत्र के समान पुत्री भी सम्पति में सहदायी दायित्व रखती है। दिनांक 20.04.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य सक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पति में अधिकार का दावा कर सकती है क्योंकि सहदायिकी सम्पति में अधिकार जन्म से है विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रीयां भी सहदायी होने के समान हिस्से हेतु हकदार है इस बाबत् आरआरटी 2020 (2) पेज 998 पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति पेश की है जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 किया जाता है।

6. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजियात में हिस्सा प्रतिवादीया ने जायज प्रतिफल अदा कर विकय पत्र निष्पादित करवाया वक्त बिकाव से ही प्रतिवादीया काबिज होकर काश्त कर रही है। जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस तनकी के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादीया के बयान कराये गये जिसके अनुसार वादवर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कय किया जाना स्पष्ट है। इसी के साथ वादीगण की ओर से वाद कलम संख्या 5 में वर्णित तथ्यो के अनुसार एवं वादीगण के के द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श 9 एवं प्रदर्श 8 के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विकय की जाना दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित है। जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी संख्या 1 के किया जाता है।

7. अनुतोष ?

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा कि वादवर्णित भूमि वादीगणो की पैतृक है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा भूमि अपने नाम दर्ज होने से सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को विकय की गई है जिसमें वादीगणो का 3 / 8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 8 हिस्सा निहित था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि विकय कर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दस्तावेज निष्पादित कराया गया है जो वादीगणो के मुकाबले शुरू से ही शुन्य है जिसके आधार पर वादीगणो का हक हिस्सा बाधित नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरजपुरा के नवीन आराजी संख्या 4002 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 4003 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 4004 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि में वादीगण को 3 / 8 (यानि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज भूमि मे से 3 / 4) हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है शेष 1 / 8 हिस्सा (यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा मे से 1 / 4 हिस्सा) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे शेष 1 / 2 हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी के साथ प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादवर्णित आराजियात में से वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे, उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे और न किसी तरह से रहन, बय, बक्षीस कर हस्तान्तरित करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नेहा छीपा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–85 / 2018 (2018 / 00215) वाद पत्र

उनवान

1–अनुराधा पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि महेश कुमार छीपा निवासी रायपुर हाल निवास 10 अ पटेल परमानंद की चाली रखियाल अहमदाबाद (गुजरात)
2–ज्योति पुत्री छीतरमल जोशी पत्नि उमेश कुमार मरकटा निवासी रायपुर हाल निवास 23 वार्ड संख्या 1 तारापुर तहसील जावद उम्मेदपुरा नीमच (मध्यप्रदेश)
3–चेतन आनन्द पिता छीतरमल जोशी पत्नि महेश कुमार छीपा निवासी रायपुर हाल निवास यु. आई. टी. के पास भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–आशादेवी पत्नि नरेन्द्र सिंह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–छीतरमल पिता लक्ष्मीलाल जोशी निवासी रायपुर हाल निवास सोमनाथ चौराया बालाजी नगर मकान नम्बर 41 (A) कांकरोली राजसंमद
3–हीरालाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–नाथुलाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर मृतक के बजाय
4 / 1–मांगीबाई बेवा नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 / 2–जगदीश पिता नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 / 3–मीना पुत्री नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4 / 4–ज्ञानी पुत्री नाथुलाल जोशी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–शान्तिलाल पिता मोहनलाल जोशी निवासी रायपुर हाल निवास समाज कल्याण छात्रावास के पास न्यू बापु नगर भीलवाड़ा
6–बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
7–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरजपुरा के नवीन आराजी संख्या 4002 रकबा 0.67 है0, आराजी संख्या 4003 रकबा 0.42 है0, आराजी संख्या 4004 रकबा 0.35 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 भूमि में वादीगण को 3 / 8 (यानि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज भूमि मे से 3 / 4) हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है शेष 1 / 8 हिस्सा (यानि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा मे से 1 / 4 हिस्सा) प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखा जावे शेष 1 / 2 हिस्सा बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी के साथ प्रतिवादी 1 व 2 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वादवर्णित आराजियात में से वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे, उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे और न किसी तरह से रहन, बय, बक्षीस कर हस्तान्तरित करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 27.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(नेहा छीपा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा).